



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245212  
CG-DL-E-17042023-245212

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]  
No. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 297(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 में, अनुसूची -IV की सारणी में, क्र.सं. 1 के सामने, स्तंभ (1) से स्तंभ (5) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	पद का नाम	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति	अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू) के संबंध में विचार करने के लिए छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) [मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)]	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष; (ii) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य;	लागू नहीं होता	1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. सचिव या एचएजी + अथवा उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी, उद्योग संवर्धन और

	(iii) सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग – सदस्या		आंतरिक व्यापार विभाग – सदस्य; 3. सचिव या एचएजी + अथवा उससे ऊपर के अधिकारी, वाणिज्य विभाग – सदस्या”
--	---	--	---

[फा. सं. ए-12018/01/2022-सीएलएस-1]

नागेश कुमार सिंह, उप-महानिदेशक

**टिप्पण:-** केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह ‘क’) भर्ती नियम, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 310(अ) द्वारा तारीख 23 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 981 (अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2015 और सा.का.नि. 416, तारीख 30 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2023

**G.S.R. 297(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Labour Service (Group ‘A’) Recruitment Rules, 2015, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Labour Service (Group ‘A’) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Labour Service (Group ‘A’) Recruitment Rules, 2015, in Schedule-IV, in the Table, against serial number 1, for the entries relating thereto in columns (1) to (5), the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name of post.	Departmental Promotion Committee for considering promotion.	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation.	Screening Committee for considering Non-functional Up-gradation (NFU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1	<b>Higher Administrative Grade (HAG)</b> [Chief Labour Commissioner (Central)]	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – <b>Chairman;</b> (ii) Secretary, Ministry of Labour and Employment – <b>Member;</b> (iii) Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – <b>Member.</b>	Not applicable.	1. Secretary, Ministry of Labour and Employment - <b>Chairman;</b> 2. Secretary or officer of the level of HAG+ or above, Department for Promotion of Industry and Internal Trade - <b>Member;</b> 3. Secretary or officer of the level of HAG+ or above, Department of Commerce- <b>Member.”</b>

[F. No. A-12018/01/2022-CLS-I]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

**Note:-** The Central Labour Service (Group ‘A’) Recruitment Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 310(E), dated the 23<sup>rd</sup> April, 2015 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 981(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2015 and G.S.R. 416, dated the 30<sup>th</sup> October, 2017.